

सं. का/254/4-परिचालन/30प्रतिशत/एलडीसीई /2020 (I)

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/सचिव/महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक/गोरखपुर।
2. प्रमुपरिप्र/सीएफटीएम/सीपीटीएम/सीटीपीएम/प्रमुसंधि/गोरखपुर।
3. उपमुसताधि/यातायात/उपमुपप्र/माल/उपमुपप्र/एफ ओ आई एस/गोरखपुर।
4. मंरेप्र/वमंकाधि/वमंपरिप्र/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
5. वकाधि/निर्माण/गोरखपुर। सदस्य तकनीकी, रेल दावा अधिकरण/गोरखपुर, लखनऊ, पटना।
6. महाप्रबन्धक/मुकाधि/आर ई/इलाहाबाद।
7. महानिदेशक/आर डी एस ओ/लखनऊ एवं महानिदेशक/ईरीटम/लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक/डीएफसीसीआईएल कार्पोरेशन/नई दिल्ली।
9. सचिव/स्थापना/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
10. सलाहकार/निदेशक/सतर्कता/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
11. प्रिसिपल/जेड आर टी आई/गाजीपुर।
12. प्रिसिपल/एम एस टी सी/गोरखपुर एवं वकाधि/मुख्यालय/गोरखपुर।

विषय:- सपरिप्र, ग्रुप-बी, 30प्रतिशत (एल डी सी ई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

....

1. सपरिप्र (ग्रुप-बी) 30प्रतिशत संरक्षा कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य जाति के 01 (एक) पद की नामिका बनाने के लिए (एल डी सी ई) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लिखित परीक्षा का समय, तिथि व स्थान बाद में सूचित किया जायेगा। इस अधिसूचना को उपरोक्त परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए पूर्व सूचना के रूप में समझा जाय।

2. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी) 2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 के अनुसार उपरोक्त लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी :-

क. **प्री-क्वालिफाईंग लिखित परीक्षा**— उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अंको का बटवारा निम्नवत् होगा -

तकनीकी विषय	40 अंक
सामान्य ज्ञान तथा वैकल्पिक राजभाषा के प्रश्न	30 अंक
स्थापना एवं वित्त संबंधी नियम	30 अंक

उक्त लिखित परीक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्तियों के पाँच गुना के बराबर मेन लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ख— **मेन लिखित परीक्षा**— उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंको के व्यवसायिक प्रश्न होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

3. इस सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तें अनुलग्नक-अ के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न की जा रही है। कर्मचारी वेतनमान 9300-34800 + 4200 ग्रेड पे (लेवल-6) एवं ऊपर के वेतनमान में दिनांक 23.12.2020 को 05 वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके हैं, विकल्प देने हेतु पात्र होंगे। अधिसूचना के साथ संलग्न किये गये अनुलग्नक-अ में प्रस्तावित परीक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण भी दिया गया है।

4ए. ऐसे ग्रुप-सी कर्मचारी जो कि उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के 30 प्रतिशत चयन में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, अनुलग्नक-ब के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी को दिनांक 08.01.2021 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। अभ्यर्थी सभी कालम को पूर्णरूप से सही-सही भरे, नियंत्रक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र में भी सभी प्रविष्टियों को प्रमाणित करने का कष्ट करें। नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से जाँच किए हुए आवेदन पत्र संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा भी जाँच कराकर दिनांक 15.01.2021 तक उपमुकाधि/राज0 को अवश्य अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में वेतनमान 9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवेल-6) में नियुक्ति की नियमित तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

4बी. कृपया अनावश्यक पत्राचार और विलम्ब से बचने के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रसारित करना चाहिए जिन्होंने उक्त परीक्षा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूर्णरूप से भरा है तथा छठे एवं सातवें वेतन आयोग वेतनमान 9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवेल-6) में दिनांक 23.12.2020 तक 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। यह पाँच वर्ष की सेवा अप्रेंटिस अवधि जोड़कर मानी जायेगी। अपूर्ण तथा निर्धारित योग्यता न रखने वाले आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

5. लिखित परीक्षा अनुलग्नक-स के रूप में संलग्न पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। संलग्न पाठ्यक्रम की प्रति नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को अवश्य परिचारित (सरकुलेट) कर दी जानी चाहिए।

6. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या हिन्दी/1/ओ एल/14/12 दिनांक 14.01.2002 एवं पत्र संख्या हिन्दी-94/रा.भा-1/10/8 दिनांक 25.01.96 एवं 14.06.96 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10 प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे। परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होंगे। यदि व्यावसायिक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तो राजभाषा नियम से संबंधित प्रश्न 10 अंको का होगा। राजभाषा के प्रश्न केवल प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में होंगे।

7. नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके अधीन कार्यरत यदि कोई कर्मचारी अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हो या स्थानान्तरित कर दिया गया हो तो 30 प्रतिशत चयन की इस अधिसूचना की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें और उनसे इस अधिसूचना में दी गयी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भेजने हेतु निर्देशित किया जाय। उनके आवेदन नियंत्रक अधिकारी व संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँच व सत्यापित कर उपमुकाधि/राज को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दिये जाय।

8. उपरोक्त चयन सामान्य जाति की 01 रिक्ति के विरुद्ध किया जा रहा है इसलिए इसमें आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थियों को चयन पूर्व कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा।

8. उपरोक्त परीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाय। इस अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाय।

9. कृपया इस अधिसूचना की प्राप्ति की पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दी जाये कि इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा किसी भी दशा में नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा वेतनमान 9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवेल-6) में नियमित नियुक्ति की तिथि का उल्लेख आवेदन में अवश्य किया जाना चाहिए।

संलग्नक/अनुलग्नक-अ, ब एवं स (पाठ्यक्रम)

(गुरजीत)
24/12/2020
उपमुकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव/प्रमुपरिप्र/गोरखपुर । कृपया कन्ट्रोल फोन द्वारा सभी मंडलों, यूनिटों एवं रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्या0/गोरखपुर (यातायात)
3. रेलवे वेबसाईट प्रति।

(गुरजीत)
24/12/2020
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त

अ- कर्मचारी दिनांक 23.12.2020 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) ग्रुप-सी में कर्मचारी जो पे बैंड पी वी-2 (9300-34800) ग्रेड पे रु0 4200 (लेवेल-6) एवं ऊपर के वेतनमान में पाँच वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके हैं, (जिसमें तदनुरूपी पूर्व संशोधित वेतनमान में की गयी Non fortuitous service सम्मिलित होगी) पात्र होंगे।

For Group-‘B’ selection (30% LDCE quota), Group-‘C’ employees working in pay band PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade pay of Rs.4200/- and above with 05 years of Non fortuitous service in the grade (including Non fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grades) will be eligible

दिनांक 23.12.2020 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) 05 वर्ष की Non fortuitous service मानी जायेगी।

ब- सभी अभ्यर्थी जो उपरोक्त (अ) में दी गयी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हों, वे इस प्रतियोगितात्मक परीक्षा की प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की किसी विशेष संख्या के किसी भी प्रतिबन्ध के बिना लिखित परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

स- केवल ऐसे कोटियो (कैटेगरी) के कर्मचारी जो सपरिप्र, ग्रुप-बी के सामान्य चयन नियमों के अन्तर्गत ग्रुप-बी में पदोन्नति के लिए पात्र हो वे एल डी सी ई (सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा) में भी सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

2. परीक्षा की योजना (स्कीम)

अ. यह सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा अभ्यर्थियों के व्यवसायिक योग्यता के सम्यक, व्यापक व पूर्ण ज्ञान के आकलन हेतु परीक्षण के रूप में आयोजित होगी। यह लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी।

1. प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा
2. मेन लिखित परीक्षा

उक्त दोनों लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ब- लिखित परीक्षा के लिए विषय और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंको का विवरण निम्न होगा-

विषय	पूर्णांक	नोट
प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गलत जबाबों के नकारान्तम अंक होंगे। प्रत्येक गलत जबाब के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंको में से एक तिहाई अंक काटा जायेगा।
मेन लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंको के व्यवसायिक प्रश्न होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

मौखिक परीक्षा	अधिकतम अंक	योग्य पाये जाने हेतु कम से कम अंक
मौखिक परीक्षा	25	30 अंक इन अंको में कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के होंगे।
सेवा अभिलेख	25	
	50	

महाप्रबन्धक / कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषय:- सपरिप्र, ग्रुप-बी, 30प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन।

संदर्भ:- का/254/4-परिचालन/30प्रतिशत/एलडीसीई /2020 (I) दिनांक .12.2020

.....

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मैं उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।, मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है-

1. नाम- (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- 1बी- पिता का नाम.....
2. पद
(कार्यालय एवं स्टेशन)
3. पदस्थापना स्थल-.....
4. नियंत्रक अधिकारी
5. जन्मतिथि
6. क्या अजा/अजजा समुदाय के हैं (स्पष्ट लिखें)
7. शैक्षणिक योग्यता
8. सेवा में प्रारम्भिक नियुक्ति-
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि
9. मूल नियुक्ति -
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) इस ग्रेड में नियमित सेवा का दिनांक
10. स्थानापन्न नियुक्ति -
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) इस ग्रेड में जिस तिथि से नियमित सेवा में है-
11. अर्हता के सम्बन्ध में विवरण-
(अ) ग्रेड 5000-8000/9300-39800 +4200 ग्रेड पे में नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि-
वर्ष.....माह.....दिन.....

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएँ/घोषणा सत्य है, यदि गलत पायी जायेगी तो मुझे उपरोक्त ग्रुप-बी पद से पदावनति किया जा सकता है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

पद.....

पी एफ नं.....

मो0नं0.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गयी उपरोक्त सेवा विवरण एवं घोषणा को जाँचा गया एवं सही पाया गया है।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....

कार्यालय मुहर.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद स्टेशन मेरे अधीन कार्यरत है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के प्रत्येक कालम में की गयी प्रविष्टि संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँचा एवं प्रमाणित किया गया है। अभ्यर्थी उपरोक्त चयन हेतु पात्र है।

नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....

कार्यालय मुहर.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदनाम स्टेशन के अन्तर्गत कार्यरत है। उसके आवेदन के प्रत्येक के सामने प्रविष्टि की गयी सूचना का संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच और सत्यापन कर लिया गया है।

दिनांक.....

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय मुहर)

बहुविवाह (एकाधिक) विवाह के सम्बन्ध में घोषणा

क- मैं विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति/पत्नी है।

ख- मैं अविवाहित/विधुर हूँ।

ग- मैंने अपने पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया है। माफी (छूट) की स्वीकृति हेतु आवेदन संलग्न है।

मैं शपथ पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण और घोषणा बिल्कुल सत्य है और मैं यह समझता हूँ कि मेरी पदोन्नति के उपरान्त उपर्युक्त घोषणा यदि असत्य पाई जाती है तो मुझे ग्रुप-बी की सेवा से पदावनति लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

आपका विश्वसनीय

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

3
(2)
113
अनुक्रमक

SYLLABUS

OPERATING PAPER-I PROFESSIONAL SUBJECT.

I. GENERAL

100 MARKS

- a. Hierarchy set up and line of control operating department at the Divisional/Zonal and Railway Board level.

II. TRAFFIC TRAIN AND POWER CONTROL ORGANIZATION:

- a. Objectives and functional set-up of Control offices.
b. Duties of a Section Controller and efficiency indices of Control namely.
i) Speed and through put of a section.
ii) Punctuality.
iii) Engine detention.
iv) Observance of 10 hours Rules.
c. Duties and responsibilities of Dy. Chief Controllers and of station/yard staff towards control organization.
d. Train Crossing principles.
e. Special Instructions during abnormal conditions of working such as during emergencies like cyclone, Civil disturbances etc.
f. Working of trains and responsibilities of Station Master when control is interrupted.
g. Functions of control during accident.
h. Basic and Important Register maintained in the Control Office.
i. Daily performance reporting from Stations/Yards/Blocks of Area sub-control, Area/Sub-control to Divisional Control Office and from Divisional Control to Zonal Control and Zonal Control to Railway Board.
j. Periodical performance reporting and analysis of operating performance.
k. Power Control organization - Engine and Crew scheduling.
l. Factors affecting Engine performance and Engine utilization and methods of improvement.
m. FOIS and its importance.

III. GOODS TRAIN OPERATIONS:

- a. Working of Marshalling yards and Transshipment points.
b. Cause of yard and section congestion and remedial strategies.
c. All Indian Marshalling order and Railway wise Marshalling orders principles and procedures.
d. Rules regarding carriage of Explosive and other General Goods.
e. Indent Allotment and supply of Goods stock at stations.
f. Priority schedule.
g. Imposition of operating restrictions on wagon loading and acceptance of wagon indents.

- h. Observance of civil ban and carriage of contraband goods etc.
- i. Organisation of Divisional and National level for daily supervision and control of Goods operation.
 - Daily status Report from Division to the Railway Head Quarter
 - Control and from the Zone to Railway Board Central Control.
 - Causes of yard and Section congestion and remedial strategies.
 - Wagon utilization - Factors affecting optimum utilization of the wagon fleet
 - methods of improvement.
 - Running of unit trains and formation of captive rakes.
 - Block train Operations.
 - Nominate day loading.
 - Rationalization scheme of movement of Goods Traffic for avoiding congestion by specific routes at specified station.
 - Rationalisation of booking and destination points and rationalisation of movement via transshipment points.
- m. Engine utilisation - Factors requiring special attention.
 - Supervision of control over movement of special type of stock consignments. Specialized movements:
 - Oil tanks, vegetable oil tanks, Acid tanks, LPG tanks, BFRs etc.,
 - Sicklines and TXR repair depots and their functions.
 - Supply of coaches/wagons to C&W shops for POH and special repairs.
 - Working of Travelling Traffic Cranes for handling heavy consignments at intermediate stations.
 - Detaching of sick wagons at enroute stations and their repair and clearance.
 - Inter-change transaction-junction returns of inter Railway, Inter-change traffic.

IV. CREW SCHEDULING AND 10 HOURS RULES:

- Engine crew and Train Crew schedules.
- Rules regarding outstation and home station rest etc.
- Supervision at Station/Shed level and in Control Office to ensure observance of 10 hours rules.

V. OPERATING STATISTICS:

- Definition, meaning and method of compilation of the fundamental and derived units. Analysis of the Operating Statistics.
- Important Operating efficiency indices as, their meaning and usage.

GENERAL KNOWLEDGE:

It would contain question on subject of interest as well as important Questions should be based as to test the knowledge of candidates, which they would acquire by general observation/reading without specific study or detailed knowledge of test books.

2
112

MARKS

PAPER:

PROFESSIONAL SUBJECT:

I) WORKING OF TRAINS GENERALLY AND GENERAL AND SUBSIDIARY RULE

- Responsibility and function of Engine Crew before starting and while on run.
- Responsibility and function of Guard/Assistant Guard before starting and while on run.
- Responsibility and function of Station staff in working of trains.
- Various systems of working of trains
- Classification of Stations, Standards of signalling.
- Station Working Instructions and Block Working Instructions.
- Line capacity and measures for augmenting it, signalling and train controlling.
- Improvements namely, MAUQ, Tokenless Working doubling and automatic Block etc.
- Use of combined Train Report, Guard's Rough Journal Book, Vehicle Guidance, Driver Ticket, Brake Power Certificate etc.
- Rules regarding marshalling of vehicle on passenger, mixed and Goods Trains, Rules regarding AVB piped and Air Brake vehicle on trains and Brake Power Rules for Ghat Sec.

II) PASSENGER TRAINS OPERATION:

- General principles and methodology of Time Tabling of passenger trains.
- Consultative machinery for revision of Time-Table at Divisional, Zonal and Railway Board level.
- Publication of Working Time Tables, Public Time Tables and sheet Time Tables etc.
- Punctuality of passenger carrying trains.
- Factors affecting punctuality of passenger carrying and methods of improving the punctuality.
- Augmentation of train loads for meeting traffic requirements.
- Running of Tourist Coaches, Special Carriage and Special Trains.
- Planning and Running of Holiday specials, Mela Specials, Tourist specials etc.
- Introduction of new trains, extension of train runs introduction of through and sectional coaches.
- Preparation of engine links and Driver/Guard links.
- Coaching Operation information System and its advantage.

ACCIDENTS AND SAFETY ORGANISATION:

- Accidents, Types and their classification cases and their prevention.
- Functioning of Railway Safety Organisation.
- Chief Commissioner of Railways Safety and his functions.
- Rules of reporting accidents.
- Action to be taken in case of accidents.
- Functioning of the various officials and departments during accidents.
- Responsibility of the Control Organisation and of Station Masters and Traffic Staff on the affected Section.
- Accident Enquiries and DAR action against staff held responsible for the accidents.
- Review of analysis of accidents.

h.e. 8-96 I/2

Accident statistics returns, Accident prevention.
Scientific analysis through psychometry of the accident proneness of staff working of station and Yard Operation.
Improved Mechanised aids to prevent human error like.
Improved signalling and inter-locking arrangement.
SM's Control and inter-cabin control over routes.
Track circuit and axle counters.
Route Relay interlocking.
Automatic Cab warning system and automatic braking system.
Safety Camps and Safety Campaigns.

IV) PLANNING ON THE RAILWAYS:

Functioning of the Chief Planning Officer and Traffic Planning Officer.
Prospective Planning and Planning of Works to be under taken under Annual Works Programmes and works under Urgency Certificates.
Analysis of Traffic bottleneck; and of Traffic trains to forecast future traffic requirements.
Planning of line capacity works and their justification by DCF Technique.
Procedure for allocation of line capacity works etc to capital, revenue and development.
Annual works Programmes, lump sum works and powers of DRMs, HODs and sanctioning work.

V) COMPUTERS ON THE RAILWAYS:

Use of Computers in -----

- i) Completion and analysis of Operating statistics.
- ii) Completion and analysis of Railway interchange of traffic between Railways.
- iii) Tracing of movement of wagons.
- iv) COIS and FOIS.

FINANCIAL AND ESTABLISHMENT RULES:

ESTABLISHMENT RULES:

The paper should also contain question on topics of national importance, achievements of Railways as also questions, which will test the awareness of candidates to developments which are taking place.

A few questions on official language policy and official language rules will be included in the paper of General Knowledge.